रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 <u>REGD. No. D. L.-33004/99</u>



सी.जी.-डी.एल.-अ.-11102021-230351 CG-DL-E-11102021-230351

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3861] No. 3861] नई दिल्ली, सोमवार, अक्तूबर 11, 2021/ आश्विन 19, 1943 NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 11, 2021/ ASVINA 19, 1943

विद्युत मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 अक्तूबर, 2021

का.आ. 4208(अ).— केन्द्रीय सरकार, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 52) की धारा 14 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के परामर्श से भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 2902 (अ) तारीख 07 सितम्बर, 2016 का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना के पैरा 3 में,-

- (क) उप-पैरा (1) में सारणी 3.3 में "1 जनवरी 2019 से 31 दिसंबर, 2020 तक" अंकों और शब्दों के स्थान पर "1 जनवरी 2019 से 31 दिसंबर, 2022 तक" अंक और शब्द रखे जाएंगे;
- (ख) उप-पैरा (2), के स्थान पर निम्नलिखित उप-पैरा रखा जाएगा, अर्थात्:-
- "(2) उक्त भंडारण प्रकार के बिजली के जल हीटर के न्यूनतम ऊर्जा निष्पादन स्तर को उन्नत बनाने के विचार से 1 अक्टूबर, 2021 से सारणी 3.3 में विनिर्दिष्ट 1 और 2 स्टार के लिए 200 लीटर की रेटिड क्षमता वाले भंडारण प्रकार के बिजली के जल हीटर पर विवरणों के सम्प्रदर्शन के लिए अनुमित नहीं दी जाएगी।"

[फा.सं.10/14/2020-ईसी] विवेक कुमार देवांगन, अपर सचिव

5803 GI/2021 (1)

टिप्पण: ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड-3, उप-खण्ड (ii) में तारीख 8 सितम्बर, 2016 की अधिसूचना सं. का.आ. 2902(अ) द्वारा प्रकाशित किया गया था और तत्पश्चात् इसमें तारीख 02 मई, 2017 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1385(अ), तारीख 24 दिसंबर, 2018 की अधिसूचना सं. का.आ. 6308(अ) तथा तारीख 10 दिसंबर, 2020 की अधिसूचना सं. का.आ. 4486(अ) द्वारा संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF POWER

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th October, 2021

S.O. 4208(E).— In exercise of the powers conferred by clause (a) of section 14 of the Energy Conservation Act, 2001 (52 of 2001), the Central Government, in consultation with the Bureau of Energy Efficiency, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Power, number S.O. 2902 (E), dated the 7th September, 2016, namely:-

In the said notification, in paragraph 3,-

- (a) in sub-paragraph (1), in Table 3.3, for the figures and words "1st January, 2019 to 31st December, 2020", the figures and words "1st January, 2019 to 31st December, 2022" shall be substituted;
- (b) for sub-paragraph (2), the following sub-paragraph shall be substituted, namely:-
- "(2) The permission for display of particulars on storage type electric water heater up to the rated capacity of 200 litres for 1 and 2 Star specified in Table 3.3 shall not be permitted from the 1st day of October, 2021 with a view to upgrade the minimum energy performance level of such storage type electric water heater".

[F. No.10/14/2020-EC] VIVEK KUMAR DEWANGAN, Add. Secy.

Note: The Energy Conservation Act, 2001 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) vide notification number S.O. 2902(E), dated the 8th September, 2016 and subsequently amended vide notification numbers S.O.1385 (E), dated the 2nd May, 2017, S.O. 6308(E), dated the 24th December, 2018 and S.O. 4486(E), dated the 10th December, 2020.